

निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-11.08.2026 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे से VC के माध्यम से आहूत विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- VC के माध्यम से।

राज्यान्तर्गत संचालित/असंचालित बालूघाटों की समीक्षा के साथ ही नीलामित/अनीलामित बालूघाटों की स्थिति/प्रत्यार्पित बालूघाटों की पुनर्नीलामी की समीक्षात्मक बैठक में विभिन्न जिलों के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को निम्न बिन्दुओं पर निदेश दिए गए :-

पीला बालूघाट वाले जिले :-

1. औरंगाबाद :-

औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुल पीला बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-113 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-65, अनीलामित बालूघाटों की सं०-48, प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं०-07, प्रत्यार्पित में से नीलामित बालूघाटों की सं०-0 है, जिसे अविलम्ब नीलामी करा कर नियमानुसार चालू करने का निदेश दिया गया। संचालित बालूघाटों की सं०-27, लोक सुनवाई लंबित-12, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की सं०-09, EC लंबित-06, ToR लंबित-01, खनन योजना लंबित बालूघाटों की सं०-02 है। जिलान्तर्गत अनीलामित बालूघाटों की सं०-48 है। संबंधित सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि 48 अनीलामित बालूघाटों में से 09 बालूघाट की नीलामी की संभावना है। अनीलामित बालूघाटों तथा नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों की घाटवार समीक्षा कर शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। संबंधित सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

(अनुपालन :- सहायक निदेशक, औरंगाबाद/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

2. रोहतास :-

रोहतास जिलान्तर्गत पीला बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-20 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-20, अनीलामित बालूघाटों की सं०-0, प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं०-10, प्रत्यार्पित में से नीलामित बालूघाटों की सं०-02 है। संचालित बालूघाटों की सं०-10, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की सं०-01, EC लंबित-01 है। प्रत्यार्पित 10 बालूघाटों को अविलम्ब संचालित करने का निदेश दिया गया है। नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों तथा प्रत्यार्पित बालूघाट की घाटवार समीक्षा कर शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। संबंधित सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

(अनुपालन :- सहायक निदेशक, रोहतास/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

3. गया :-

गया जिलान्तर्गत पीला बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-51 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-38, अनीलामित बालूघाटों की सं०-13, प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं०-06, प्रत्यार्पित में से नीलामित की सं०-0 है। संचालित बालूघाटों की सं०-10, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की सं०-09, EC लंबित-02 है। प्रत्यार्पित 06 बालूघाटों का अविलम्ब नीलामी कराने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों को अविलम्ब संचालित कराने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, गया/ खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

4. जमुई :-

जमुई जिलान्तर्गत पीला बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-47 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-47, अनीलामित बालूघाटों की सं०-0, प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं०-10, प्रत्यार्पित में से नीलामित बालूघाटों की सं०-04, संचालित बालूघाटों की सं०-28, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की सं०-01, EC लंबित-0, खनन योजना लंबित बालूघाटों की सं०-03 है। प्रत्यार्पित में से नीलामित 04 बालूघाटों के शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। शेष 06 प्रत्यार्पित बालूघाटों का अविलम्ब नीलामी कराने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों को अविलम्ब संचालित कराने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, जमुई/ खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

5. पटना :-

पटना जिलान्तर्गत पीला बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-31 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-26, अनीलामित बालूघाटों की सं०-05, प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं०-10, प्रत्यार्पित में से नीलामित बालूघाटों की सं०-02, संचालित बालूघाटों की सं०-17, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की सं०-02, EC लंबित-01, खनन योजना लंबित बालूघाटों की सं०-01 है। शेष प्रत्यार्पित बालूघाटों शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। संबंधित सहायक निदेशक को नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों को अविलम्ब संचालित कराने का निदेश दिया गया। संबंधित सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

(अनुपालन :- सहायक निदेशक, पटना/ खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

6. भोजपुर :-

भोजपुर जिलान्तर्गत पीला बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-61 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-61, अनीलामित बालूघाटों की सं०-0, प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं०-15, प्रत्यार्पित में से नीलामित बालूघाटों की सं०-05, संचालित बालूघाटों की

सं0-43, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की सं0-05, EC लंबित-02, खनन योजना लंबित बालूघाटों की सं0-0 है। शेष 06 प्रत्यार्पित बालूघाटों का अविलम्ब नीलामी कराने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों के शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर/ खनिज विकास पदाधिकारी (मु0))

7. कैमूर :-

कैमूर जिलान्तर्गत पीला बालूघाटों/कलस्टरों की सं0-01 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं0-01, संचालित बालूघाटों की सं0-01 है।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, कैमूर)

8. लखीसराय :-

लखीसराय जिलान्तर्गत पीला बालूघाटों/कलस्टरों की सं0-11 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं0-11, अनीलामित बालूघाटों की सं0-0, प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं0-04, प्रत्यार्पित में से नीलामित बालूघाटों की सं0-02, संचालित बालूघाटों की सं0-05, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की सं0-0, EC लंबित-1 है। शेष प्रत्यार्पित बालूघाटों के शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय/खान निरीक्षक, लखीसराय द्वारा प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं0-04 में डेढ़ महीना बीत जाने के बाद भी कोई प्रगति/ऑक्शन की प्रक्रिया नहीं किया गया है, जो कार्य के प्रति शिथिलता/लापरवाही का द्योतक है। इस संबंध में खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0))

9. नालंदा :-

नालंदा जिलान्तर्गत पीला बालूघाटों/कलस्टरों की सं0-17 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं0-13, अनीलामित बालूघाटों की सं0-04, प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं0-04, प्रत्यार्पित में से नीलामित बालूघाटों की सं0-0, संचालित बालूघाटों की सं0-05 है। शेष प्रत्यार्पित बालूघाटों के शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय)

10. नवादा :-

नवादा जिलान्तर्गत पीला बालूघाटों/कलस्टरों की सं0-31 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं0-31, अनीलामित बालूघाटों की सं0-0, प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं0-08, संचालित बालूघाटों की सं0-17 है। प्रत्यार्पित बालूघाटों का अविलम्ब नीलामी कराने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों के शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने

का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, नवादा/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

11. अरवल :-

अरवल जिलान्तर्गत पीला बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-43 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-42, अनीलामित बालूघाटों की सं०-01, प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं०-02, प्रत्यार्पित में से नीलामित बालूघाटों की सं०-02, संचालित बालूघाटों की सं०-19, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की सं०-05, EC लंबित-05 है। 06 बालूघाटों का लोक सुनवाई बाकी है। संबंधित सहायक निदेशक को नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों के शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। संबंधित सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

(अनुपालन :- सहायक निदेशक, अरवल/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

12. जहानाबाद :-

जहानाबाद जिलान्तर्गत पीला बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-16 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-04, अनीलामित बालूघाटों की सं०-12, संचालित बालूघाटों की सं०-02 है। अनीलामित बालूघाटों तथा नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों की घाटवार समीक्षा कर शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, जहानाबाद/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

13. मुंगेर :-

मुंगेर जिलान्तर्गत पीला बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-02 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-02, संचालित बालूघाटों की सं०-02 है।

14. बाँका :-

बाँका जिलान्तर्गत पीला बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-14 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-14, संचालित बालूघाटों की सं०-05, EC लंबित-02 है। खनन योजना अनुमोदित परन्तु ToR 04 लंबित है। नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों की घाटवार समीक्षा कर शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, बाँका/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

15. भागलपुर :-

भागलपुर जिलान्तर्गत पीला बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-08 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-03, अनीलामित बालूघाटों की सं०-05, संचालित बालूघाटों की सं०-02 है। खनन योजना अनुमोदित परन्तु ToR लंबित बालूघाटों की सं०-01 है।

अनीलामित बालूघाटों तथा नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों की घाटवार समीक्षा कर शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, भागलपुर / खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

उजले बालूघाट वाले जिले :-

1. समस्तीपुर :-

समस्तीपुर जिलान्तर्गत उजले बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-15 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-02, अनीलामित बालूघाटों की सं०-13, संचालित बालूघाटों की सं०-02 है। अनीलामित बालूघाटों की घाटवार समीक्षा कर शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

2. सारण :-

सारण जिलान्तर्गत उजले बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-54 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-05, अनीलामित बालूघाटों की सं०-49, प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं०-01, संचालित बालूघाटों की सं०-03 है। अनीलामित बालूघाटों तथा नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों की घाटवार समीक्षा कर शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायें। यह भी निदेश दिया गया कि सारण जिलान्तर्गत अवैध खनन की शिकायतें विभाग को लगातार प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में सार्थक कदम उठा कर अवैध खनन के मामले पर अंकुश लगाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- सहायक निदेशक, सारण/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

3. गोपालगंज :-

गोपालगंज जिलान्तर्गत उजले बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-13 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-02, अनीलामित बालूघाटों की सं०-11, संचालित बालूघाटों की सं०-01 है। अनीलामित बालूघाटों तथा नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों की घाटवार समीक्षा कर शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, गोपालगंज/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

4. बेतिया :-

बेतिया जिलान्तर्गत उजले बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-11 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-03, अनीलामित बालूघाटों की सं०-08, प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं०-01, संचालित बालूघाटों की सं०-01 है। अनीलामित बालूघाटों तथा नीलामित

परन्तु असंचालित बालूघाटों की घाटवार समीक्षा कर शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, बेतिया/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

5. **मुजफ्फरपुर :-**

मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत उजले बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-09 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-07, अनीलामित बालूघाटों की सं०-02, संचालित बालूघाटों की सं०-01, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की सं०-02, EC लंबित-03, लोक सुनवाई हेतु लंबित बालूघाटों की सं०-04 है। अनीलामित बालूघाटों तथा नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों की घाटवार समीक्षा कर शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

6. **मोतिहारी :-**

मोतिहारी जिलान्तर्गत उजले बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-14 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-05, अनीलामित बालूघाटों की सं०-09, संचालित बालूघाटों की सं०-02 है। अनीलामित बालूघाटों तथा नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों की घाटवार समीक्षा कर शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, मोतिहारी/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

7. **पटना :-**

पटना जिलान्तर्गत उजले बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-146 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-24, अनीलामित बालूघाटों की सं०-120, संचालित बालूघाटों की सं०-05 है। 120 अनीलामित बालूघाटों के संबंध में निदेश दिया गया कि अविलम्ब निविदा प्रकाशन कर संचालन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की सं०-02, EC लंबित-05, लोक सुनवाई हेतु लंबित बालूघाटों की सं०-06, ToR लंबित-07, खनन योजना लंबित बालूघाटों की सं०-01 है। अनीलामित बालूघाटों तथा नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों की घाटवार समीक्षा कर शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(अनुपालन :- सहायक निदेशक, पटना/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

8. बक्सर :-

बक्सर जिलान्तर्गत उजले बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-45 है जिसमें सभी बालूघाट अनीलामित है, जिस पर खेद प्रकट किया गया। सभी अनीलामित बालूघाटों की नीलामी नहीं होने के कारणों की घाटवार समीक्षा कर शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, बक्सर/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

9. बेगूसराय :-

बेगूसराय जिलान्तर्गत उजले बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-12 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-11, अनीलामित बालूघाटों की सं०-01, संचालित बालूघाटों की सं०-03, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की सं०-05, खनन योजना लंबित बालूघाटों की सं०-02, लोक सुनवाई लंबित बालूघाटों की सं०-01 है। VC में खनिज विकास पदाधिकारी, बेगूसराय की अनुपस्थिति के कारण जिला की समीक्षा नहीं हो पाई। VC में शामिल नहीं होने पर उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, बेगूसराय/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

10. मुंगेर :-

मुंगेर जिलान्तर्गत उजले बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-22 है जिसमें सभी बालूघाट अनीलामित है जिस पर खेद प्रकट किया गया। सभी अनीलामित बालूघाटों की नीलामी नहीं होने के कारणों की घाटवार समीक्षा कर शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

11. वैशाली :-

वैशाली जिलान्तर्गत उजले बालूघाटों/कलस्टरों की सं०-143 है, जिसमें से नीलामित बालूघाटों की सं०-13, अनीलामित बालूघाटों की सं०-130, संचालित बालूघाटों की सं०-04, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की सं०-02, खनन योजना लंबित बालूघाटों की सं०-04 है, लोक सुनवाई लंबित बालूघाटों की सं०-01 है। अनीलामित बालूघाटों तथा नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाटों की घाटवार समीक्षा कर शीघ्र संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संचालन लंबित होने के कारण सहित घाटवार अद्यतन सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

(अनुपालन :- खनिज विकास पदाधिकारी, वैशाली/खनिज विकास पदाधिकारी (मु०))

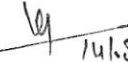
अन्य बिन्दु :-

- (1) सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राजस्वहित में अनीलामित बालूघाटों की ई-नीलामी हेतु यथाशीघ्र विज्ञापन का प्रकाशन की जाय।

- (2) प्रत्यार्पित बालूघाटों की घाटवार समीक्षा कर पुनर्नीलामी हेतु आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित की जाय।
- (3) नीलामित परन्तु असंचालित बालूघाट के संबंध में निदेश दिया गया कि घाटवार Mining Plan/ToR/EC/CTE/CTO/ भुगतान/एकरारनामा के लंबित मामलों की समीक्षा कर बालूघाट के शीघ्र संचालन हेतु नियमित अनुश्रवण संबंधित बंदोबस्तधारी के साथ सुनिश्चित की जाय।
- (4) सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को बालूघाट बंदोबस्तधारी के साथ नियमित समीक्षा बैठक अपने स्तर से करने हेतु निदेशित किया गया तथा जिन बंदोबस्तधारियों के द्वारा आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियों के प्राप्त करने में लापरवाही बरती जा रही है, उन पर नियमानुसार बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2026 के सुसंगत प्रावधानों के तहत दण्ड अधिरोपण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


 (मनेश कुमार मीणा)
 निदेशक, खान

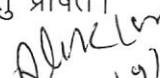
सं0सं0:- 5426/एम0, पटना, दिनांक :- 19/08/26

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव/अवर सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी-I, II/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 19/08/26

सं0सं0:- 5426/एम0, पटना, दिनांक :- 19/08/26

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित समाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 19/08/26

सरकार के अवर सचिव